शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री मीडिया सन्दर्भों का निस्तारण

संख्याः 316/9-3-2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0

नगर विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 18 सितम्बर, 2023

विषयः मुख्यमंत्री मीडिया संदर्भ (CM Media Reference- CMMR) के निस्तारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

नगरीय निकायों के कार्यों से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित रिर्पोटस/"सोशल मीडिया" पर प्राप्त होने वाली शिकायतें मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में भी प्राप्त होती हैं। इन संदर्भों के निस्तारण की त्वरित/समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इन संदर्भों में निहित विषय सामान्यतः तात्कालिक प्रकृति के होते हैं। अतः इन्हें "तत्काल" (Immediate) व "अविलम्ब" (Urgent) श्रेणियों में रखकर इनके निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। "तत्काल" श्रेणी के संदर्भों के बारें में श्रेणी प्राप्त होते ही समस्या का निराकरण कराकर तद्विषयक आख्या अपलोड किया जाना अपेक्षित है जबकि "अविलम्ब" श्रेणी के संदर्भों के बारे में अपेक्षित कार्यवाही 24 घंटे के अंदर पूर्ण कराकर आख्या अपलोड की जायेगी।

-2-

2. उक्त प्रकार के संदर्भों के बारे में कार्यवाही हेतु नगरीय निकायों के अधिकारीगण (यथा–नगर निगमों में नगर आयुक्त व नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा संदर्भ के निस्तारण के बारे में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को यथास्थिति दूरभाष/व्हाट्सएप पर स्वयं अवगत कराएंगे।

3. उक्त संदर्भों को ई– नगर सेवा पोर्टल पर "CMMR" शीर्षक के अन्तर्गत पंजीकृत कर इनके निस्तारण की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी:–

(i) नगर निगमः नगर निगम स्तर पर उक्त संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जायेगा तथा कार्य के पूर्व एवं पश्चात् की फोटो सहित निस्तारण आख्या उक्त पोर्टल पर सम्बन्धित नगर आयुक्त स्वयं संतुष्ट होते हुए अपलोड करायेंगे। तदनुसार अपलोड की गई आख्या की सन्नरीक्षा निदेशक, नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय/नगर विकास विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतः पालिका/पंचायत स्तर पर उक्त संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जायेगा तथा कार्य के पूर्व एवं पश्चात् की फोटो सहित निस्तारण आख्या उक्त पोर्टल पर सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी स्वयं संतुष्ट होते हुए अपलोड करायेंगे। तदनुसार अपलोड की गई आख्या की सन्नरीक्षा निदेशक, नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय/नगर विकास विभाग को अवगत कराया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप पर गूगल शीट बनाकर निदेशक, नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी :–

CMMR संदर्भों के निस्तारण की आख्या

क्र.	जनपद का नाम	नगर निगम/ नगर निकाय का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	संदर्भ की प्रकृति	शिकायत का विवरण	निस्तारण आख्या तथा अपलोड किए गए फोटो की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्यसचिव, उ0प्र0, शासन।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त व्यवस्था की संवेदनशीलता से अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराते हुए पोर्टल पर आख्या तत्परतापूर्वक अपलोड करने हेतु आवश्यक निर्देश अपने स्तर से निर्गत करने तथा परस्पर समन्वय के आधार पर प्राप्त होने वाली आख्याओं की सघन मॉनीटरिंग भी कराने का कष्ट करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्तानुसार आख्याएं अपलोड करने के बारे में यथावश्यकता प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था किया जाना भी अपेक्षित है।
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव